न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे),इलाहाबाद।
वाद संख्या 5179/2022
मु0अ0सं0 241/2022
धारा 414, 411 भा0दं0सं0
सरकार बनाम मिनी कैश उर्फ अली असद
थाना जी0आर0पी0 इलाहाबाद।

दिनांक 27.09.2023

पत्रावली जेल लोक अदालत में प्रस्तुत हुयी। अभियुक्त **मिनी कैश उर्फ अली असद** उपस्थित आया। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मामले में न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया जा रहा है तथा जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसकी जुर्म स्वीकारोक्ति के परिणामों से अवगत् कराया गया किन्तु उसके पश्चात् भी उसने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया।

अभियुक्त का बयान निम्न प्रकार अंकित किया गया जिसमें उसने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने का कथन किया हैः–

बयान मुल्जिम

नाम अभियुक्तः– मिनी कैश उर्फ अली असद पिता का नामः–हैदर अली
उम्रः–35 वर्ष निवासीः–बड़ा बघाड़ा थाना कर्नलगंज जिला प्रयागराज।
प्रश्न 1:– क्या आपके द्वारा घटना कारित की गयी?
उत्तरः–
प्रश्न 2:– क्या आप जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे है?
उत्तरः–
प्रश्न 3:– क्या आपको कुछ और कहना है?
उत्तरः–

अभियुक्त पर चोरी करने व चोरी की सम्पति बरामद होने का आरोप है जिसे उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया है।

अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा **414, 411** भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

दिनांक 27.09.2023

(अमित कुमार–।)
अपर मुख्य न्यायिक मजि0 (रेलवे),
इलाहाबाद।

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त का कथन है कि वह बहुत गरीब हैं। वह दिनांक 15.08.2022 से जेल में निरूद्ध हैं। गलतीवश अपराध हो गया है। भविष्य में गलती नहीं करेगा। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियुक्त दिनांक 15.08.2022 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त से सिर्फ तीन अदद मोबाईल बरामद हुआ है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को निम्नलिखित दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः–

आदेश

अभियुक्त **मिनी कैश उर्फ अली असद** को धारा **414, 411** भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए उसको धारा 414 भा0दं0सं0 के मामले में एक वर्ष एक माह के कारावास व अंकन 1,000/–रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिन के अतिरिक्त कारावास से तथा धारा 411 भा0दं0सं0 के मामले में एक वर्ष एक माह के कारावास व अंकन 1,000/–रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिन के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाता है। जेल में व्यतीत की गयी अवधि इस सजा में समायोजित समझी जायेगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।

दिनांक 27.09.2023

(अमित कुमार–।)
अपर मुख्य न्यायिक मजि0 (रेलवे),
इलाहाबाद।

उक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 27.09.2023

(अमित कुमार–।)
अपर मुख्य न्यायिक मजि0 (रेलवे),
इलाहाबाद।